न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 99 / 2018

जीसीएमएस : 2018 / 00439

1. वीरपाल कौर पुत्र निरंजन सिंह पत्नी लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एनआर डी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

— प्रार्थीया

बनाम

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एमके ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

— अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री परमजीत सिंह मेहरा, वकील प्रार्थीया
2. श्री मदन सिंह चारण, अप्रार्थी सं. 1

—: निर्णय :—

दिनांक : 01.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता निरंजन सिंह के नाम चक 6 एमके ए तह. रायसिंहनगर मु.नं. 19 प.नं. 136 / 287 की 3.681है. बारानी भूमि खातेदारी दर्ज थी। जो प्रार्थीया के पिता को प्रार्थीया के दादा हरनाम सिंह पुत्र संतासिंह की मृत्यु के पश्चात बतौर विरास्तन प्राप्त हुई थी। निरंजन सिंह के प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 पैदायशी संतान है तथा विवादित भूमि निरंजन सिंह को विरास्तन प्राप्त होने से भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 का बहिस्सा बराबर बराबर हक हकूक हैं। पैदायशी हक के कारण प्रार्थीया का उक्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा 1.840है. हिस्सा में आती हैं। जिस भूमि की प्रार्थीया अपने आपको खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी हैं। भूमि राजस्व रिकार्ड में अकेले नरंजन सिंह के नाम थी तथा प्रार्थीया की शादी होने के कारण प्रार्थीया ससुराल चक 12 एनआरडी ढाणी में निवास करती हैं। तथा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के साथ संयुक्त कब्जा में हैं। तथा आज तक संयुक्त कब्जा में प्रार्थीया काबिज चली आ रही हैं। प्रार्थीया अपने पिता निरंजन सिंह की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है परन्तु अब निरंजन सिंह द्वारा अपने नाम की उक्त तमाम भूमि एक दान पत्र दिनांक 14.07.2015 को अप्रार्थी सं. 1 के नाम उप पंजीयक मुकलावा में तस्दीक करवा दिया। जिस भूमि में प्रार्थीया का 1 / 2 हिस्सा विरासतन हक हकूक था। परन्तु उक्त दस्तावेज दानपत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से समस्त कृषि भूमि का इन्तकाल करवाया जाना शुरू से ही विधि विरूद्ध व शून्य हैं। विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1का विरास्तन संयुक्त कब्जा होन व सब शांतिपूर्वक चले आने के कारण प्रार्थीया को उक्त कृषि भूमि के रिकार्ड संबंधी ज्ञान नहीं था, प्रार्थया मामूली पढ़ी लिखी व महिला होने के कारण भी उक्त रिकार्ड संबधी ज्ञान से अनभिज्ञ रही। प्रार्थीया द्वारा अपने पिता निरंजन सिंह को समस्त भूमि में से अपने 1 / 2 हिस्सा को अपने नाम करने हेतु कई बार निवेदन किया तो मेरे पिता निरंजन सिंह द्वारा आश्वासन दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात उक्त समस्त कृषि भूमि आपके व अप्रार्थी सं. 1 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर ही होनी हैं। टालमटोल कर समय गुजार करते रहे। अप्रार्थी सं. 1 ने मेरे पिता निरंजन सिंह को अपने प्रभाव में लेकर तथा किसी दस्तावेज के निष्पादन से अनभिज्ञ रखकरतथा प्रार्थीया का पैदायशी हक समाप्त करने की नियत से दिनांक 1.07.2015 को फर्जी रूप से एक दानपत्र उक्त तमाम भूमि की [illegible] मुकलावा में पंजीबद्ध करवाया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा तैयार करवाया गया दा[illegible] से ही अवैध, प्रभावहीन, शून्य व बिना बदल व फर्जी हैं। अप्रार्थी सं. [illegible] पिता निरंजन सिंह को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसलिए [illegible] शून्य व अवैधानिक है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से सम्[illegible] तथाकथित दानपत्र 14.07.2015 को फर्जी व अवैध तथा प्रभावहीन स्वीकार करते [illegible] उक्त दस्तावेज को निरस्त [illegible] इसके आधार पर शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करवाने मगर अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया [illegible] वैधानिक निवेदन को भी स्वीकार करने से इंकार कर दिया एवं दिनांक 20.07.2018 को मयुकाम

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested

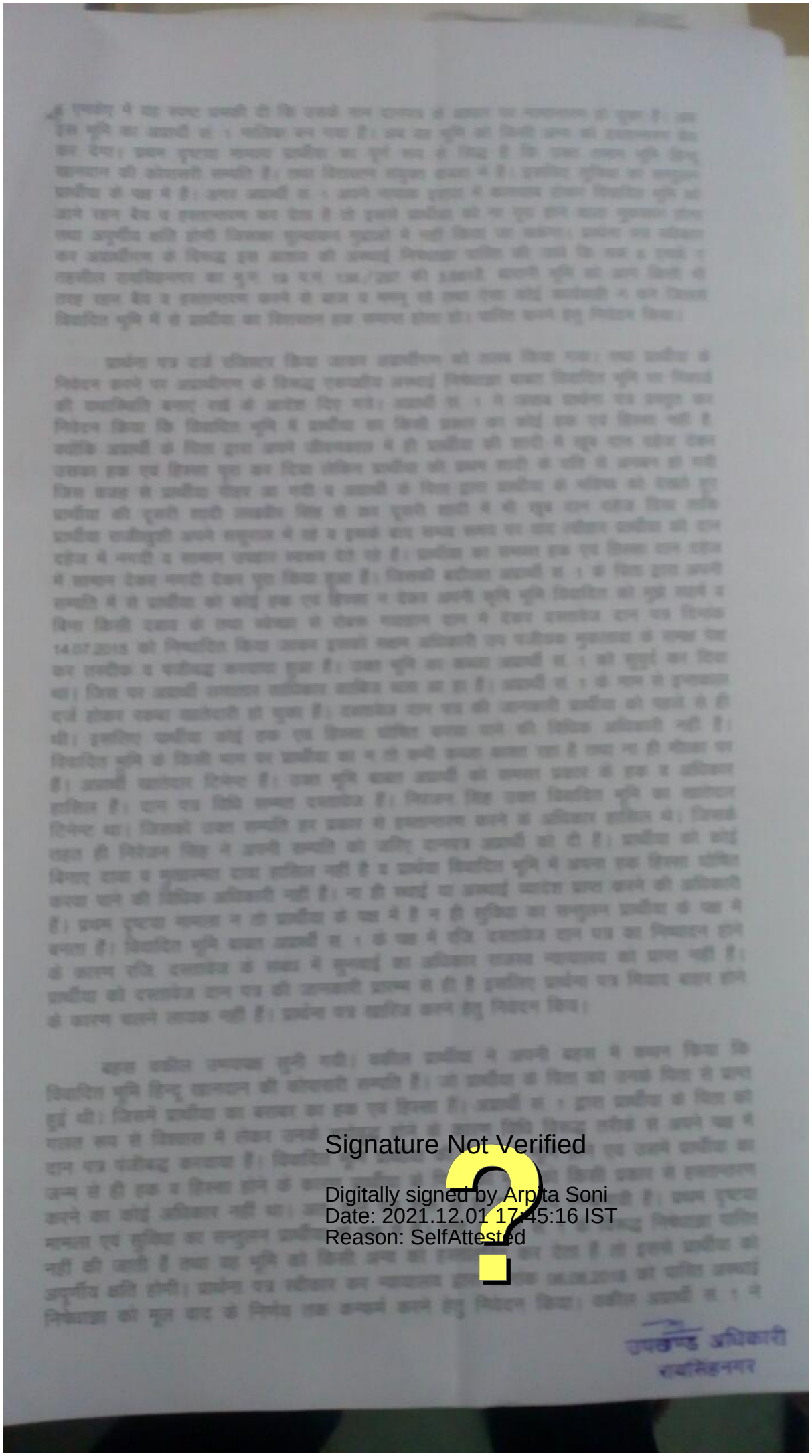

में एसडीएम में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसके नाम दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण हो चुका है। अब इस भूमि का अप्रार्थी सं. 1 मालिक बन गया है। अब वह भूमि को किसी अन्य को हस्तान्तरण बेच कर देगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया का पूर्ण रूप से सिद्ध है कि उक्त शामलात भूमि हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी सम्पत्ति है। तथा विभाजन संयुक्त कब्जा में है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने नापाक इरादों में कामयाब होकर विवादित भूमि को आगे रहन बेच व हस्तान्तरण कर देता है तो इससे प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि चक 8 एसडी तहसील रायसिंहनगर का मु.न. 19 क.नं. 136/287 की 3.88 [illegible] वाली भूमि को आगे किसी भी तरह रहन बेच व हस्तान्तरण करने से बाज व मम्नु रहे तथा ऐसा कोई कार्यवाही न करे जिससे विवादित भूमि में से प्रार्थीया का विभाजन हक समाप्त होता हो। पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तथा प्रार्थीया के निवेदन करने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित भूमि पर विवाद की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है क्योंकि अप्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीया की शादी में खूब दान दहेज देकर उसका हक एवं हिस्सा पूरा कर दिया लेकिन प्रार्थीया की प्रथम शादी के पति से अनबन हो गयी जिस वजह से प्रार्थीया पीहर आ गयी व अप्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थीया के भविष्य को देखते हुए प्रार्थीया की दूसरी शादी [illegible] सिंह से कर दूसरी शादी में भी खूब दान दहेज दिया तथा प्रार्थीया राजीखुशी अपने ससुराल में रह व इसके बाद समय समय पर वार त्यौहार प्रार्थीया को दान दहेज में नगदी व सामान उपहार स्वरूप देते रहे हैं। प्रार्थीया का समस्त हक एवं हिस्सा दान दहेज में सामान देकर नगदी देकर पूरा किया हुआ है। जिसकी बदौलत अप्रार्थी सं. 1 के पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति में से प्रार्थीया को कोई हक एवं हिस्सा न देकर अपनी भूमि भूमि विवादित को मुझे [illegible] व बिना किसी दबाव के तथा स्वेच्छा से रोकड़ [illegible] दान में देकर दस्तावेज दान पत्र दिनांक 14.07.2015 को निष्पादित किया जाकर इसको सक्षम अधिकारी उप पंजीयक मुकलावा के समक्ष पेश कर तस्दीक व पंजीबद्ध करवाया हुआ है। उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 को सुपुर्द कर दिया था। जिस पर अप्रार्थी लगातार कब्जा काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इन्तकाल दर्ज होकर रकबा खातेदारी हो चुका है। दस्तावेज दान पत्र की जानकारी प्रार्थीया को पहले से ही थी। इसलिए प्रार्थीया कोई हक एवं हिस्सा घोषित करवाने पाने की विधिक अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि के किसी भाग पर प्रार्थीया का न तो कभी कब्जा काश्त रहा है तथा ना ही मौका पर है। अप्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है। उक्त भूमि बाबत अप्रार्थी को समस्त प्रकार के हक व अधिकार हासिल है। दान पत्र विधि सम्मत दस्तावेज है। निरंजन सिंह उक्त विवादित भूमि का खातेदार टिनेन्ट था। जिसको उक्त सम्पत्ति हर प्रकार से हस्तान्तरण करने के अधिकार हासिल थे। जिसके तहत ही निरंजन सिंह ने अपनी सम्पत्ति को जरिए दानपत्र अप्रार्थी को दी है। प्रार्थीया को कोई बिनाए दावा व मुखासमत दावा हासिल नहीं है व प्रार्थीया विवादित भूमि में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने पाने की विधिक अधिकारी नहीं है। ना ही स्थाई या अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला न तो प्रार्थीया के पक्ष में है न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। [illegible] बनता है। विवादित भूमि बाबत अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में रजि. दस्तावेज दान पत्र का निष्पादन होने के कारण रजि. दस्तावेज के संबंध में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया को दस्तावेज दान पत्र की जानकारी प्रारम्भ से ही है इसलिए प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण चलने लायक नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी सम्पत्ति है। जो प्रार्थीया के पिता को उनके पिता से प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थीया का बराबर का हक एवं हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीया के पिता को गलत रूप से विश्वास में लेकर उनके [illegible] विधि विरुद्ध तरीके से अपने पक्ष में दान पत्र पंजीबद्ध करवाया है। विवादित [illegible] एवं उसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा होने के कारण [illegible] किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था। [illegible] है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया [illegible] निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तथा वह भूमि को किसी अन्य को हस्तान्तरण कर देता है तो इससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2018 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थीया की शादी के समय उपहार सामान आदि देकर प्रार्थीया का हिस्सा पूरा कर दिया था। प्रार्थीया का अब भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रह गया हैं। अप्रार्थी के पिता द्वारा अपनी स्वेच्छा से विवादित भूमि जरिए दान पत्र उप पंजीयक मुकलावा से पंजीबद्ध करवा अप्रार्थी को दे दी थी। दान पत्र आधार पर अप्रार्थी के नाम से इन्तकाल दर्ज हो चुका हैं। रजि. दस्तावेज के संबंध में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थीया को दस्तावेज दान पत्र की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। प्रार्थीया सद्भावी नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा अप्राथी को नाहक पेरशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं। अप्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार टिनेन्ट हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि खातेदार टिनेन्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना हैं। विवादित भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में हैं। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1995 पेज नं. 532 रामपति आदि बनाम परसराम आदि अपील नं. 91/भरतपुर ऑफ 93 निर्णय दिनांक 19 मई 1995 के अनुसार "पिथ व सबस्टेंन्स मूलतः क्या है, यह देखा जाना उचित हैं।" प्रार्थीया ने अपने अनुतोष में मूलतः विरास्तन सम्पति में से अपने खातेदारी हकों की घोषणा चाही है, जिसका निर्णय मूल वाद में होना हैं। प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में हैं, चूंकि विवादित भूमि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से पैतृक सम्पति प्रतीत होती हैं। यदि प्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं मिलता, तो प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के अग्रिम रहन/बैय/बेचान/दान से प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होनी संभावित हैं व प्रार्थना पत्र की जटिलता भी बढेगी। पुत्री के पैतृक सम्पति में हक हकूक को सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर अनेक न्यायिक निर्णयों में अभिकथित किया हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कि जाती हैं कि वे विवादित भूमि चक 6 एमके ए तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 19 प.नं. 136/287 की 3.681 बारानी भूमि पर मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested